न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 184 / 2017

उनवान

1. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी प्रहलाद सनाढ्य निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती प्रमिला पत्नी विनोद कुमार सनाढ्य निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. नंदा आत्मज गिरधारी माली निवासी आरणी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :–
   1 / 1 श्रीमती अलोली पत्नी नंदा माली निवासी आरणी,
   1 / 2 देबी आत्मज नंदा माली निवासी आरणी,
   1 / 3 राजू आत्मज नंदा माली निवासी आरणी,
   1 / 4 दूदा आत्मज नंदा माली निवासी आरणी,
2. श्रीराम आत्मज बालू माली निवासी आरणी, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. तहसीलदार,शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. अध्यक्ष, भू –दान यज्ञ बोर्ड, जयपुर

रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 224 / 2013 निर्णय दिनांक 23.5.2017

अभिभाषक : 1. श्री रमेश चेचाणी, ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मनोहर शंकर त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1,2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 14.11.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आरणी पटवार हल्का अरनिया रांसा तहसील शाहपुरा स्थित आराजी नम्बर 554 रकबा 2.02 हैक्टेयर स्थित है। उक्त कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण कई वर्षो से काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण उक्त आराजी की सिंचाई आराजी संख्या 3180/554 गैर मु0 चाह से करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर फसल काश्त करने,हंकाई, बुवाई व सिंचाई करने हेतु आराजी नम्बर 560 जो कि गैर मुमकिन रास्ता है उस पर होकर आराजी संख्या 552 के अन्दर प्रवेश करते हुए प्रार्थीगणों की आराजी नम्बर 554 पर जाते हैं। आने–जाने का यही एक मात्र रास्ता है। आराजी संख्या 552 विपक्षी भू–दान यज्ञ बोर्ड जयपुर राजस्थान के खाते में होकर विपक्षी संख्या 1 व 2 गैर खातेदार काश्तकार हैं। आराजी संख्या 552 पर 4 मीटर चौडा रास्ता बना हुआ है । प्रार्थीगण वर्तमान रास्ते को 4 मीटर से अधिक चौडा कराना चाहते है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित नहीं है। जिसे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में इन्द्राज कराने के साथ ही 5 मीटर चौडा कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर जाने के लिए वादग्रस्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः उक्त रास्ते को 4 मीटर के बजाय 5 मीटर राजस्व नक्शे में दर्ज करया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खारिज किया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की ग्राम आरणी स्थित आराजी नम्बर 554 रकबा 2.02 हेक्टेयर है। अपीलार्थीगण आने जाने के लिए रास्ते के रूप में आराजी नम्बर 560 गैर मुमकिन रास्ता पर होकर आराजी नम्बर 552 के अन्दर प्रवेश करते हुए अपीलार्थीण की आराजी संख्या 554 पर आते है। अपीलार्थीगण की आराजी पर आने–जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। अपीलार्थीगण ने उक्त आराजी वर्ष 2008 में क्रय की थी तथा विक्रेता द्वारा भी भूमि क्रय करते समय उक्त रास्ता ही बताया था। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होकर वर्तमान में रेस्पोडेण्ट संख्या 4 भूदान यज्ञ बोर्ड के खाते में होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 गैर खातेदार काश्तकार है।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ताका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने वस्तुस्थिति को रेकार्ड पर लाने के लिए कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई। इस बाबत अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने भी नियमानुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 552 में से होकर उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होने का जवाब दावे मे अंकन किया । उसके बावजूद अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जो विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/विपक्षीगण ने जो जवाब प्रस्तुत किया उसमें अंकित किया कि अपीलार्थीगण की आराजी संख्या 554 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता आराजी नम्बर 556 से होना बताया है परन्तु उक्त आराजी नम्बर 556 से आगे जाकर मौके पर बन्द हो जाने से उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार आराजी नम्बर 560 गैर मुमकिन रास्ते से अपीलार्थी की वादग्रस्त आराजी पर जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं न ही कभी रास्ता पूर्व में रहा है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के तथ्यों को विपरीत मानकर कयासी तौर पर आराजी संख्या 560 वैकल्पिक रास्ता मानकर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज याग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में किसी साक्ष्य के बयान भी लेखबद्ध नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में ओमप्रकाश सोनी जिनसे अपीलार्थीगण ने भूमि प्राप्त नहीं की उसके बावजूद उसके शपथ पत्र को आधार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मानकर आराजी नम्बर 554 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता आराजी नम्बर 663 के दक्षिण में माना है। जबकि उक्त शपथ पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 663 के दक्षिण में कोई रास्ता ही उपलब्ध है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धार 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की आराजी में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध होने बाबत ओम प्रकाश सोनी ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि अपीलार्थीगण के पास अपनी आराजी में आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध होने से अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण के विक्रयकर्ता के शपथ पत्र व जवाब के पेरा संख्या 4 में अंकित वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर खातेदार की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी की मौजा आरणी पटवार हल्का अरनिया रांसा तहसील शाहपुरा स्थित आराजी नम्बर 554 रकबा 2.02 हैक्टेयर स्थित है। उक्त कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण कई वर्षो से काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण उक्त आराजी की सिंचाई आराजी संख्या 3180/554 गैर मु0 चाह से करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर फसल काश्त करने,हंकाई, बुवाई व सिंचाई करने हेतु आराजी नम्बर 560 जो कि गैर मुमकिन रास्ता है उस पर होकर आराजी संख्या 552 के अन्दर प्रवेश करते हुए प्रार्थीगणों की आराजी नम्बर 554 पर जाते हैं। आने–जाने का यही एक मात्र रास्ता है। इस प्रकार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने का कथन करते हुए राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

10. अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट भी मंगवाने का निवेदन किया । जिस प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20.3.2013 में खसरा नम्बर 554 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 552 में 4 मीटर चौडा रास्ता मौके पर निकला हुआ बताया बाद में दिनांक 3.10.2013 का अवलोकन किया जिसमें पटवारी हल्का ने अंकित किया ''मौके पर 560 गैर मुमकिन रास्ते से आराजी नम्बर 552 में होकर आराजी नम्बर 554 तक मिट्टी डला हुआ रास्ता जाता है । जिसे आराजी नम्बर 552 के भू दान यज्ञ बोर्ड के गैर खातेदार नन्दा पिता गिरधारी व श्रीराम पिता बालू माली निवासी आरणी ने हांक कर बंन्द कर दो तरफ डोल डालकर बन्द कर दिया है। उक्त रास्ता खोलने हेतु नन्दा व श्रीराम को समझाईश की गई लेकिन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उन्होनें बताया कि किसी भी स्थिति में हम हमारे खेत से होकर रास्ता नहीं निकलने देंगे। अतः रास्ता खुलासा नहीं किया जा सका।''उक्त रिपोर्ट से यह तथ्य भलीभॉति प्रत्यर्थीगण की आराजी नम्बर 554 में जाने हेतु आराजी नम्बर 552 में से होकर रास्ता निकलता है जो कि तहसीलदार के जवाब से भी सिद्ध होता है। जहॉ तक ओम प्रकाश सोनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रश्न है। अपीलार्थीगण का निवेदन है कि ओम प्रकाश सोनी से अपीलार्थीगण ने भूमि क्रय नहीं की है। उनके शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

11. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.5.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई की जाकर उसकी आपत्तियों का निस्तारण कर एक माह के भीतर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

14/11/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा